विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 16 रायपुर, दिनांक : 10 APR 2026

प्रति,

1. M/s Yogesh Food And Products,
   Proprietor – Jyoti Shah,
   Mahesh Colony, Gali No. 01,
   Srinagar Road Gudhiyari, Raipur (C.G.)
   Mob.No. – 9425508756, 7348863306

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 09 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त–दो, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., गुढ़ियारी, रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– Pending disconnection of our existing 150 HP connection B.P.No. 1008178307.

प्रकरण क्रमांक / 09 / रायपुर / 2026

M/s Yogesh Food And Products, ...आवेदिका
Proprietor – Jyoti Shah,
Mahesh Colony, Gali No. 01,
Srinagar Road Gudhiyari, Raipur (C.G.)
Mob.No. – 9425508756, 7348863306

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 10 / 04 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक M/s Yogesh Food And Products द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 18.03.2026 यह है कि "I am writing to formally escalate an issue regarding the non-disconnection of our 150 HP electricity connection at Yogesh Food Products, located in Tatibandh, Raipur. Despite submitting the required request for disconnection approximately two months ago, the connection remains active. This delay is causing unnecessary bills are getting generated & financial and operational inconvenience to us.

Details of the connection are as follows :-
Consumer Name – Yogesh Food Products
B.P.No. – 1008178307
Location – Tatibandh, Raipur
Load – 150 HP
Request submission Date – 22.01.2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

. We have already followed up through the concerned local office multiple times, but no action has been taken so far and bills are getting generated month & month. Am not liable to pay this rental bills post 2 months post submission of disconnection request. This matter is urgent, and ew expect prompt resolution."

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता टाटीबंध जोन, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02.04.2026 को सूचित किया है कि :–

यह कि टाटीबंध जोन के अंतर्गत मेसर्स योगेश फूड एण्ड प्रोडक्ट प्रो. ज्योति शाह महेश कॉलोनी गली नम्बर 01 श्रीनगर रोड़ गुढ़ियारी के द्वारा 150 अश्वशक्ति भार का कनेक्शन पूर्ण रूप से विच्छेदित कर 10 किलोवॉट गैर घरेलू का नया कनेक्शन हेतु आवेदन किया था कनेक्शन प्रदाय के क्रम में दिनांक 06.03.2026 को आवेदन पंचींग कर डिमांड नोट जारी कर दिया गया था उपभोक्ता के द्वारा डिमांड नोट का भुगतान दिनांक 17.03.2026 को किया गया तत्संबंध में दिनांक 20.03.2026 को मीटर परिसर में स्थापित कर दिया गया है उपभोक्ता के अन्य कनेक्शन को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने हेतु जोन कार्यालय के द्वारा मीटर परीक्षण संभाग – एक को मीटर निकालने हेतु दिनांक 10.03.2026 को पत्र द्वारा सूचित कियां गया । दिनांक 02.04.2026 को मीटर डिसमेन्टल की गयी थी । जिसमें सी.टी. मीटर को निकालकर अंतिम बिलिंग एवं सुरक्षानिधि वापसी की प्रक्रिया कंपनी के नियमानुसार की जायेगी, अन्य विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है –

(i) क्या शिकायत का निपटारा आपके द्वारा किया जा सकता है – शिकायत का निराकरण जोन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है ।

(ii) यदि निपटारा संभव हो तो उसका कारण चूँकि प्रकरण में नया कनेक्शन प्रदान कर परिसर में स्थापित अन्य कनेक्शन को विच्छेदित करना है जिसका निराकरण संभव है ।

(iii) प्रकरण से संबंधित जवाबदावा एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न कर सादर सूचनार्थ आपके कार्यालय की ओर प्रेषित है ।

अतः चाही गई वांछित जानकारी सादर सूचनार्थ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही आपके कार्यालय की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 06.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

3. यह कि ट्रांसपोर्ट नगर, टाटीबंध रायपुर स्थित आवेदिका के परिसर में मेसर्स योगेश फूड एंड प्रोडक्ट प्रो. ज्योति शाह के नाम पर 150 अश्वशक्ति भार का औद्योगिक श्रेणी का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1008178307 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदिका द्वारा दिनांक 22.01.2026 को अपने उक्त विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने एवं कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि राशि को वापस किए जाने संबंधी आवेदन उत्तरवादी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया । आवेदिका के अनुसार अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही किए जाने हेतु उसके द्वारा बार बार उत्तरवादी के कार्यालय से संपर्क किया जाता रहा लेकिन उत्तरवादी द्वारा उसके आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी एवं प्रतिमाह विद्युत देयक प्रेषित किया जाता रहा है जिसके कारण उन्हें अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । आवेदिका के अनुसार अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की बाद की अवधि के लिए भी उत्तरवादी द्वारा विद्युत देयक का प्रेषित किया जाना अनुचित है । इस अवधि के विद्युत देयक के भुगतान के लिए वह किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है ।

4. यह कि स्वयं के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी लंबी अवधि तक इस संबंध में कार्यवाही न किए जाने एवं विद्युत देयक प्रेषित किए जाते रहने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर, अपने विद्युत कनेक्शन को अविलंब स्थायी रूप से विच्छेदित करते हुए नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत स्वयं के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.03.2026 को ME एवं मीटर निकालकर कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है । इसी प्रकार आवेदिका के नवीन विद्युत कनेक्शन

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.03.2026 को नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है । उत्तरवादी के अनुसार आवेदिका के स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध अंतिम बिलिंग करते हुए जमा सुरक्षा निधि को वापस किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदिका द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा विद्युत देयक का प्रेषित किया जाना नियमानुसार है ।

ब. क्या उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा राशि को वापस किए जाने में सप्लाई कोड के प्रावधानों में दी गयी समय सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है ।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

7. यह कि दिनांक 06.04.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि अपने 150 अश्वशक्ति के औद्योगिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने एवं बार बार इस संबंध में कार्यालय से संपर्क किए जाने के बाद भी लंबी अवधि तक उत्तरवादी द्वारा न तो किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी और न ही इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायी गयी । उत्तरवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही न करते हुए मासिक विद्युत देयकों का प्रेषित किया जाना जारी रखा गया जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंची है ।

इस संबंध में फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि आवेदिका द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उनके विद्युत कनेक्शन की सप्लाई जम्फर काट कर बंद कर दी गयी थी यद्यपि उत्तरवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कुछ कारणों से आवेदिका के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने में थोडा विलंब हुआ है । उत्तरवादी के अनुसार दिनांक 30.03.2026 को आवेदिका के परिसर में स्थापित ME एवं मीटर निकालकर कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है एवं उनके परिसर में उनके द्वारा आवेदित नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

8. . यह कि फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा बताया गया कि अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा लगातार विद्युत देयक प्रेषित किया जाता रहा है जो कि अनुचित है । एक ओर तो उत्तरवादी द्वारा उसके स्थायी विच्छेदन के आवेदन पर समय पर कार्यवाही नहीं की गयी और दूसरी ओर स्वयं के द्वारा किए गए विलंब अवधि के लिए भी विद्युत देयक प्रेषित किया जाता रहा है जो कि स्वीकार्य नहीं है । उत्तरवादी की इस कार्यवाही से उसे आर्थिक रूप से नुकसान होने की आशंका है ।

9. यह कि विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 7.40 यथा "All consumers other than domestic, single phase non domestic and street light category can terminate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving at least one months notice in the format as per annexure-7 irrespective of having executed any supplementary agreement. One month time will be considered from the date of receipt of notice by licensee. The licensee shall arrange for special meter reading, at a mutually acceptable date, to facilitate preparation of the final bill of the consumer. The agreement shall be terminated on the last day of the billing month and the licensee shall raise the final bill accordingly.

Date or termination of agreement shall be on last date of billing month after expiry of one month notice period. "

के अनुसार घरेलू सिंगल फेज गैर घरेलू एवं सड़क बत्ती उपभोक्ता के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपभोक्ता, अपने विद्युत कनेक्शन की प्रारंभिक अनुबंध अवधि (2 वर्ष) के समाप्त होने के बाद एक माह की नोटिस देकर अपने विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कराते हुए अनुबंध समाप्त कर सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन की तिथि 22.01.2026 है जिसकी एक माह की सूचना अवधि का दिनांक 21.02.2026 को समाप्त होना दर्शित होता है । प्रस्तुत प्रकरण में अनुबंध की समाप्ति दिनांक 28.02.2026 को माना जाना उचित होगा । इस प्रकार उत्तरवादी, आवेदिका को माह फरवरी 2026 तक की अवधि का ही देयक प्रेषित किए जाने का अधिकारी है । यदि इसके बाद की

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

अवधि का देयक आवेदिका को प्रेषित किया गया है तो वह निरस्त किए जाने योग्य है ।

यद्यपि उत्तरवादी द्वारा फोरम को बताया गया कि आवेदिका को माह फरवरी 2026 तक का ही देयक प्रेषित किया गया है ।

10. यह कि फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा अपने स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि राशि को अविलंब वापस किए जाने का निवेदन किया गया । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदिका के कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के बाद मीटर मे दर्ज वाचन के अनुसार अंतिम बिलिंग किए जाने की कार्यवाही चल रही है जिसके बाद आवेदिका की वापसी योग्य सुरक्षा निधि की गणना करते हुए राशि की वापसी की कार्यवाही की जावेगी ।

सप्लाई कोड की कंडिका 6.19 यथा "After disconnection of a regular connection or after period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill adjusting the security deposite available and send it to the consumer within 30 days from the date of making connection permanently disconnected/date of disconnection of temporary supply as the case may be and return the balance amount if any within next 60 days." के अनुसार किसी विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के 30 दिनों के अंदर उत्तरवादी द्वारा अंतिम देयक प्रेषित किया जाना है एवं उसके बाद 60 दिनों की अवधि में शेष वापसी योग्य जमा सुरक्षा राशि को उपभोक्ता को वापस किया जाना है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका की जमा सुरक्षा राशि की वापसी की कार्यवाही में उत्तरवादी द्वारा सप्लाई कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दर्शित नहीं होता है ।

11. यह कि फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया कि 150 अश्वशक्ति के नवीन कनेक्शन की प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा स्वयं के कनेक्शन के लिए स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर की राशि का भी भुगतान किया गया था यद्यपि आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । आवेदक द्वारा फोरम से यह जानकारी चाही गयी कि ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन के स्थायी रूप से विच्छेदित होने पर क्या उक्त ट्रांसफार्मर की जमा राशि की वापसी का कोई प्रावधान है ?

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

अवगत हो कि सप्लाई कोड की कंडिका 4.5 यथा "The extension of distribution mains, notwithstanding the fact that it has been paid for by the consumer, shall be the property of the licensee." के अनुसार नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए स्थापित होने वाली विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर के लिए उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण राशि जमा करने की स्थिति में भी विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर उत्तरवादी की संपत्ति होते हैं । फोरम द्वारा आवेदक को बताया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन के लिए स्थापित विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर उत्तरवादी की संपत्ति होने के कारण उन्हे इस मद में भुगतान की गयी किसी प्रकार की राशि का वापस/समायोजन किया जाना संभव नहीं है ।

12. यह कि उत्तरवादी के कार्यालय में बार–बार संपर्क किए जाने के बाद भी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन एवं जमा सुरक्षा राशि वापसी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी न दिए जाने का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उत्तरवादी की कार्यप्रणाली से असंतोष व्यक्त किया गया । फोरम यह स्वीकार करता है कि अपने उपभोक्ताओं के सभी प्रकार के आवेदनों/शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उस पर संवेदनशील तरीके से त्वरित कार्यवाही करना उत्तरवादी की जिम्मेदारी है । फोरम द्वारा उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए उसका पालन सुनिश्चित करे ।

13. यह कि फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदिका के आवेदन दिनांक 22.01.2026 के अनुसार की गयी कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही के बाद मीटर में दर्ज खपत के आधार पर आगामी 03 दिवस के भीतर अंतिम देयक तैयार कर सुरक्षानिधि में समायोजित करते हुए आवेदिका को सूचित करें ।

14. यह कि फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदिका से सुरक्षा निधि वापसी के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए सप्लाई कोड के अनुसार माह अप्रेल 2026 के अंदर ही आवेदिका की वापसी योग्य सुरक्षा निधि की राशि आवेदिका के खाते में वापस किया जाना सुनिश्चित करें । एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

15. आदेश पारित ।

16. प्रकरण निराकृत ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

17. अनावेदक पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

18. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)